क्रम-संख्या–162(ख-5)

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी०/एल०–डब्लू०/एन०पी०–91/2014–16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, बुधवार, 6 मई, 2026

बैशाख 16, 1948 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–2

———————

संख्या 1066/81-2–2026-29(73)/2025

लखनऊ, 6 मई, 2026

———————

अधिसूचना

प0आ0–264

चूँकि, नीचे अनुसूची में उल्लिखित भूमि, भारतीय वन अधिनियम 1927 (अधिनियम संख्या 16 सन् 1927) के अधीन 'संरक्षित वन' के रूप में घोषित किये जाने के लिये प्रस्तावित की गयी है:

और, चूँकि, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (3) के अधीन यह परीक्षण किया गया है कि पूर्वोक्त भूमि को संरक्षित वन के रूप में घोषित करने से किसी भी व्यक्ति के अधिकारों का वंचन नहीं किया जा रहा है:

अतएव, अब, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, नीचे अनुसूची में उल्लिखित भूमि को इस अधिसूचना के सरकारी गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से 'संरक्षित वन' घोषित करते हैं और यह भी अधिसूचित किया जाता है कि राज्य सरकार द्वारा प्रकाशित किन्ही नियमों के अधीन समस्त ऋतुओं में उक्त भूमि पर प्रदत्त समस्त अधिकार और विशेषाधिकार अबाध रूप से जारी रहेंगे।

अनुसूची

जिला	परगना	तहसील	ग्राम का नाम	गाटा संख्या	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	सीमा विवरण
1	2	3	4	5	6	7
चित्रकूट	मानिकपुर	मानिकपुर	ऊँचाडीह	1281 मि	1.784	**उत्तर**–गाटा संख्या 1531 **पूरब–**गाटा संख्या 1281 का शेष भाग व गाटा संख्या 1465 **दक्षिण–**गाटा संख्या 1465, गाटा संख्या 1467 वा गाटा संख्या 1466 से सटा हुआ **पश्चिम–**गाटा संख्या 1531
				01 किता	1.784	

आज्ञा से,
वी0 हेकाली झिमोमी,
प्रमुख सचिव।

———————

The Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 1066/LXXXI-2-2026-29(73)/2025, dated May 6, 2026

No. 1066/LXXXI-2-2026-29(73)/2025

Dated Lucknow, May 6, 2026

WHEREAS the land mentioned in the Schedule below has been proposed to be declared as 'protected forest' under the Indian Forest Act, 1927 (Act no. 16 of 1927);

AND WHEREAS, it has been examined under sub-section (3) of Section 29 of the aforesaid Act that no rights of any person are being deprived by declaring the aforesaid land as protected forest;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers under Section 29 of the aforesaid Act, the Governor is pleased to declare the land mentioned in the Schedule below to be "protected forest" from the date of publication of this notification in the Official *Gazette* and it is also notified that all rights and privileges conferred on the said land across all seasons under any rules published by the State Government shall continue unabated.

SCHEDULE

District	Tehsil	Pargana	Name of Village	Khasra no.	Area (in Hectares)	Boundary Description
1	2	3	4	5	6	7
Chitrakoot	Manikpur	Manikpur	Unchadeeh	1281 Mi	1.784	**North**- Gata no. 1531 **East**- Remains part of Gata no. 1281, Gata no. 1465 **South**- Gata no. 1465, Gata no. 1467, Adjacent of Gata no. 1466 **West**- Gata no. 1531
				01 No.	1.784	

By order,
V. HEKALI ZHIMOMI,
Pramukh Sachiv.

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 131 राजपत्र–2026–(271)–599+25=624 प्रतियां (डी0टी0पी0/ऑफसेट)।